



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2021]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939

No. 2021]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का.आ. 2279(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) के तहत स्थापित प्राधिकरण 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण', चेन्नई को उस प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) लाभ शेयरिंग फीस और प्राप्त रायल्टी
- (ग) आवेदन फीस के रूप में प्राप्त राशि
- (घ) ब्याज के रूप में प्राप्त राशि; और
- (ङ) शास्ति (पैनल्टी) के रूप में प्राप्त राशि।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई :—

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलाप और आय विशेष की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा 4 (ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करे।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए लागू हुई समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 68 /2017/फा. सं. 300196/01/2017-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं है।